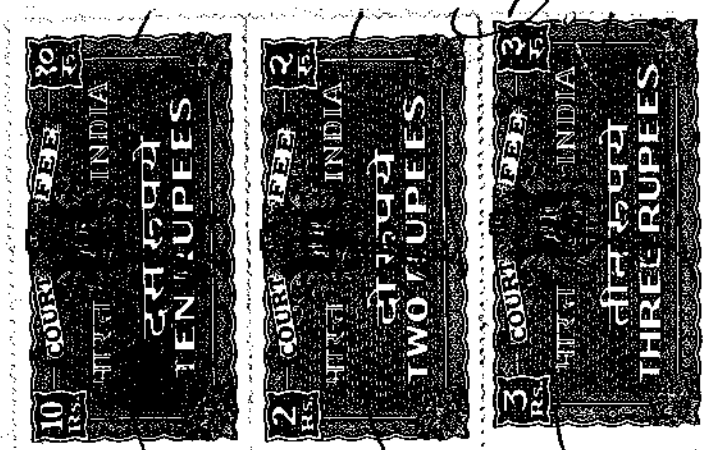

माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर,

प्रकरण क्रमांक /99 निगरानी, 619-तीन/99

कृष्णदत्त पुत्र माधौदत्त, जाति ब्राहम्ण,
निवासी- ग्राम रैमजा हाल निवासी-आर्यनगर
भिण्ड ..आवेदक/
निगरानीकर्ता,

विरुद्ध

बृजकिशोर पुत्र शिवनारायण ब्राहम्ण,
निवासी- ग्राम विलाव, तेहसील भिण्ड,
हाल निवासी- जोधापुरा, तेहसील मेहगाँव,
जिला भिण्ड (म.प्र.)
..अनावेदक

क्रमांक .... श्री [illegible] अभिभावक द्वारा आज दिनांक 03.5.99 को प्रस्तुत [illegible] 03.5.99 क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म. प्र. ग्वालियर

निगरानी विरुद्ध न्यायालय अपर आयुक्त चम्बल संभाग श्री एनके. अग्रवाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 6/1/99 प्रकरण क्रमांक 2/98-99 अपील स्वीकार किये जाने से दुखित होकर अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू रा. संहिता 1955,

श्रीमानजी,

निगरानीकर्ता की निगरानी निम्न तथ्य एवं आधार पर प्रेषित है:-

निगरानी के संक्षिप्त तथ्य :-

(1) यह कि, तेहसील मेहगाँव जिला भिण्ड सीमा अन्दर स्थित आराजी ग्राम जोधापुरा सर्वे क्रमांक 35,44,51,71 एवं

(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण कमांक 619–तीन/1999 निग0 जिला भिण्ड

कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों / अभिभाषकों के हस्ताक्षर
4-7-16. प्रकरण आदेश हेतु प्रस्तुत हुआ। अवलोकन किया गया । यह निगरानी अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना व्दारा प्रकरण कमांक 2/98–99 अपील में पारित आदेश दिनांक 6–1–1999 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत हुई है। 2/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर आवेदक के अभिभाषक के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया गया। अनावेदक को बार–बार सूचना पत्र भेजने तथा अंत में पंजीकृत डाक से सूचना भेजने के वाद भी अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय है। 3/ आवेदक के अभिभाषक के तर्कों पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख के अवलोकन पर स्थिति यह है कि ग्राम जोधापुरा स्थित कुल किता 5 कुल रकबा 7.484 हैक्टर भूमि के भूमिस्वामी चुन्नीलाल के स्थान पर आवेदक का नामान्तरण मान0 व्यवहार न्यायालय की डिक्री दिनांक 11–11–82 के आधार पर किया गया। अनावेदक ने नायव तहसीलदार के समक्ष 3–3–97 को आवेदन देकर बताया कि जिला न्यायाधीश व्दारा अपील कमांक 4/94 में पारित आदेश दिनांक 17–2–97 से व्यवहार न्यायाधीश का आदेश एंव डिक्री निरस्त कर दी गई है इसलिये राजस्व अभिलेख में पूर्व की स्थिति कायम की जावे। नायव तहसीलदार मेहगॉव ने आदेश दिनाक 3–3–97 से राजस्व अभिलेख में पूर्व की स्थिति कायम कर दी। आवेदक ने 15–4–97 को आवेदन प्रस्तुत कर नायव तहसीलदार को अवगत कराया कि माननीय उच्च न्यायालय में रिव्हीजन कमांक 295/97 प्रस्तुत	

कर दी गई है । नायव तहसीलदार ने पुनः आदेश दिनांक 19–5–97 पारित करके मृतक चुन्नीलाल के स्थान पर आवेदक का नाम दर्ज करने के आदेश दिये। इस आदेश के विरूद्व अनावेदक ने अनुविभागीय अधिकारी मेहगॉव के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी ने प्रकरण कमांक 64/96–97 अपील में पारित आदेश दिनांक 9–10–98 से अपील निरस्त कर दी। इस आदेश के विरूद्व अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना के समक्ष अपील होने पर प्रकरण कमांक 2/98–99 अपील में पारित आदेश दिनांक 6–1–1999 से अपील स्वीकार कर अनुविभागीय अधिकारी को पुनः जॉच करने एंव सुनवाई करने वावत् प्रकरण प्रत्यावर्तित किया है।

प्रकरण में देखना यह है कि क्या अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना ने आदेश दिनांक 6–1–1999 से प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी की ओर जॉच एंव सुनवाई हेतु वापिस करने में किसी प्रकार की त्रृटि की है ? अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 6–1–99 में विवेचना की गई है कि अनुविभागीय अधिकारी ने यह देखने का प्रयास नहीं किया कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 9–7–98 के वाद नायव तहसीलदार मेहगॉव ने आवेदक कृष्णदत्त के नाम का इन्द्राज अभिलेख में किया है अथवा आदेश होने से पहिले ही कर दिया है तथा द्वित्तीय अपर सत्र न्यायाधीश भिण्ड व्दारा पारित स्थगन आदेश कब तक के लिये बैध है । ऐसी स्थिति में अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 6–1–99 में किसी प्रकार की त्रृटि नहीं होने से निगरानी निरस्त की जाती है।

सदस्य